प्रेषक,

अधिषासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड, फिरोजाबाद।

सेवा में,

निदेषक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेष, लखनऊ।

पंत्राकः— /नकूखफि/एस—8 दिनांक—

विषयः— नीलामी नोटिस संख्या—02/2018—19 का प्रकाषन समाचार पत्रों में कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस खण्ड से सम्बन्धित संलग्न नीलामी की सूचना संख्या—02/2018—19 छः प्रतियों में सी0डी0 सहित संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि नीलामी सूचना को निम्नलिखित क्षेत्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाषित कराने का कष्ट करें। प्रकाषन तिथि की सूचना, प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें

क्र0सं0	दैनिक समाचार पत्र का नाम	प्रकाषित होने का स्थान	प्रकाषन
1	2	3	4
1	अमर उजाला	आगरा एवं मेरठ	दो बार
2	दैनिक जागरण	आगरा एवं मेरठ	दो बार

भवदीय

अधिषासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड, फिरोजाबाद

पंत्राकः—176 /नकूखफि/एस—8 दिनांक—05/02/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यॉत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेष, लखनऊ।
2. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी नलकूप (पष्चिम) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेष, मेरठ।
3. वित्त नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रेष लखनऊ ।
4. अधीक्षण अभियन्ता/अधिषासी अभियन्ता कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को सी0डी0 सहित बेवसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।
5. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल/तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य आगरा।
6. अधिषासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, आगरा/नलकूप खण्ड मैनपुरी/नलकूप निर्माण खण्ड, आगरा/ सिंचाई खण्ड, फिरोजाबाद।
7. जिला सूचना अधिकारी फिरोजाबाद।
8. पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस आषय के साथ प्रेषित है कि नीलामी के दिवस इस कार्यालय के उक्त पते पर दो आर्म गार्ड भेजने की कृपा करें।
9. सहायक अभियन्ता प्रथम/तृतीय/चतुर्थ नलकूप उपखण्ड, फिरोजाबाद/षिकोहाबाद।
10. कैषियर, नलकूप खण्ड, फिरोजाबाद।
11. सूचना पट हेतु।

अधिषासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड, फिरोजाबाद

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड, फिरोजाबाद

पंत्राकः— 176 /नकूखफि/नीलामी/फालतू भण्डार, दिनांक— 05/02/2019

नीलामी नोटिस संख्याः— 02/2018—19

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नलकूप खण्ड, फिरोजाबाद में उपलब्ध निम्नलिखित निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी दिनांकः— 20.02.2019 को अपराह्म 12:00 बजे खण्डीय केन्द्रीय कार्यषाला एवं भण्डार नलकूप खण्ड, फिरोजाबाद, नलकूप कालौनी आसफाबाद, फिरोजाबाद पर समिति द्वारा की जायेगी ।

लाट—1

क्र0सं0	निष्प्रयोज्य सामग्री	मात्रा मी0 टन में		टोकन की धनराषि
		यूनिट	मात्रा	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	जला हुआ पी0वी0सी0 कोटेड तॉबे का तार	मी0 टन	5.00	30,000.00 (रू0 तीस हजार मात्र)

नोट :—

1. उपरोक्त सामग्री की नीलामी एक ही लाट में की जाएगी तथा धरोहर राषि इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा नीलामी की तिथि से दो दिन पूर्व दिनांकः— 18.02.2019 समयः— 3:00 बजे दोपहर तक बैंक ड्राफ्ट जो कि अधिषासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड फिरोजाबाद के पक्ष में होगा, जिसे खण्डीय कैषियर के पास जमा कराना होगा।
2. उच्चतम बोलीदाता को बोली की 25 प्रतिषत धनराषि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी के समाप्त होते ही खण्डीय कैषियर के पास जमा कराना होगा।
3. यह नीलामी की सूचना एवं नीलामी से सम्बन्धित शर्ते सूचना विभाग की वेबसाइट www.upgov.up.nic.in/infotech और विभागीय वेबसाइट www.idup.gov.in पर उपलब्ध है।

अधिषासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड, फिरोजाबाद

नीलामी की शर्तेः–

1. किसी भी बोली या समस्त बोलियों को निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति नलकूप खण्ड, फिरोजाबाद का होगा।
2. नीलामी की बोली किसी भी दषा में विभागीय दरों से कम स्वीकार नहीं की जायेगी ।
3. सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ही उच्चतम बोली की पूर्ण धनराषि जमा करा कर सामग्री उठवाई जायेगी।
4. विवादित प्रकरण न्यायालय, फिरोजाबाद में निपटाये जाऐंगें।
5. बिना जमानत राषि जमा कराये कोई व्यक्ति/फर्म नीलामी में भाग नहीं लेगा।
6. उच्चतम बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली की धनराषि का 25 प्रतिषत धनराषि बैंक ड्राफ्ट (धरोहर धनराषि सम्मिलित करते हुये) जमा न करने पर उनके द्वारा जमा धरोहर धनराषि विभाग द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
7. स्वीकृति उपरान्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर शेष धनराषि एवं नियमानुसार देय जी0एस0टी0 आदि जमा करना होगा । अन्यथा 25 प्रतिषत जमा की गई धनराषि जब्त कर ली जाएगी।
8. नीलामी की धनराषि पर नियमानुसार जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगा।
9. स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त उसमें दी गई समयावधि के अन्दर बोलीदाता को सामग्री उठानी अनिवार्य होगी।
10. समयावधि में सामग्री न उठाने की दषा में अगर सामग्री में कोई क्षति होती है तो बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. फर्म अथवा बोलीदाता द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति ही नीलामी में भाग ले सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नीलामी परिसर में प्रवेष नहीं करेगा।
12. नीलामी से सम्बन्धित अन्य शर्ते नीलामी से पूर्व पढकर सुनाई जायेगी।
13. बोलीदाता द्वारा एक रूपये (राउन्ड फिगर) के पूर्णांक में ही बोली लगायी जायेगी।
14. निर्धारित शर्तों का बोलीदाता को पालन करना अनिवार्य होगा।
15. अन्य शर्तें नीलामी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में आकर इस कार्यालय में देखी जा सकती है।
16. फर्म/बोलीदाता के पास जी0एस0टी0 नम्बर होना अनिवार्य है, तथा पेन/टेन की प्रमाणित छायाप्रति धरोहर धनराषि के साथ जमा करनी अनिवार्य है। अन्यथा नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा।
17. फर्म अथवा बोलीदाता द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की सत्यापित छाया प्रति जमा करनी होगी ।
18. अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर नीलामी निरस्त कर दी जाऐगी।
19. बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
20. किसी भी कार्य दिवस में उपखण्ड प्रथम मे सम्बन्धित अवर अभियन्ता (भण्डार) से सम्पर्क स्थापित कर सामग्री का निरीक्षण किया जा सकता है।
21. यदि उक्त नीलामी के दिनांक को अपरिहार्य कारणोंवष अवकाष होता है, तो आगामी कार्य दिवस को नीलामी सम्पन्न की जाएगी। अन्य शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

अधिषासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड, फिरोजाबाद